रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 46] नई दिल्ली, नवम्बर 10—नवम्बर 16, 2013, शनिवार/कार्तिक 19—कार्तिक 25, 1935
No. 46] NEW DELHI, NOVEMBER 10—NOVEMBER 16, 2013, SATURDAY/KARTIKA 19—KARTIKA 25, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2013

सा.का.नि. 261.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह ''क'' और समूह ''ख'' पद) भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई हैं या करने का लोप किया गया है, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, में समूह ''क'' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह ''क'' पद प्रादेशिक भाषा) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद हैं	सीधे भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उप विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा शाखा)	02* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. धन ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	50 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने कि लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले एवं चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (क)(i) केन्द्रीय अधिनियम; प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के समतुल्य समझा जाए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्थान या विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर (एलएल.एम.) की उपाधि; या (ii) राज्य न्यायिक सेवा का आठ वर्ष की अवधि के लिए सदस्य हो; या किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में आठ वर्ष तक कोई पद धारण कर चुका हो; या केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जिसे विधि कार्यों का आठ वर्ष का अनुभव हो; या ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो आठ वर्ष तक उस रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो; या किसी मान्यताप्राप्त संस्था में आठ वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) में अनुवाद करने का आठ वर्ष का अनुभव; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों में कानूनों के प्रारुपण का आठ वर्ष का अनुभव । या (ख)(i) केन्द्रीय अधिनियम; प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(7)

संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के समतुल्य समझा जाए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्थान या विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक (एलएल.बी.) की उपाधि; या

(ii) राज्य न्यायिक सेवा का दस वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो;

या

किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में दस वर्ष तक कोई पद धारण किया हो;

या

केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जिसे विधि कार्यों का दस वर्ष का अनुभव हो;

या

ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो दस वर्ष तक उस रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त संस्था में दस वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो;

या

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) में अनुवाद करने का दस वर्ष का अनुभव हो;

या

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों के प्रारुपण का दस वर्ष का अनुभव हो ।

(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या कोई संस्थान या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा अथवा कोई उच्चतर परीक्षा में संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) अथवा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या समतुल्य या किसी उच्चतर परीक्षा में संबद्ध भाषा एक विषय रहा हो ।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

(7)	
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । **वांछनीय** 1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) में विधायी प्रारुपण का पांच वर्ष का अनुभव । 2. केन्द्रीय अधिनियम; प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के समतुल्य समझा गया है या कोई अन्य संस्थान या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से किसी संबद्ध भाषा में (संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) विषय के साथ या स्नातक स्तर पर किसी विषय के रूप में या माध्यम के साथ स्नातक की उपाधि । **टिप्पण :–** संबद्ध भाषा की सही अपेक्षा भर्ती के समय उपदर्शित होगी ।	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** राजभाषा खंड, विधायी विभाग में 15600-39100 रु. के वेतन बैंड-3, धन ग्रेड वेतन 6600 रु. के ग्रेड वेतन का सहायक विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा शाखा) जो उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा कर चुका हो । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए

(11)

अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्तिः

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो :–

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जो मूल काडर या विभाग में 15600-39100 रु. के वेतन बैंड-3, धन ग्रेड वेतन 6600 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा कर चुका हो; और

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।

टिप्पण (1) : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण (2) : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय —सदस्य 3. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय —सदस्य 4. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय —सदस्य **समूह "क" विभागीय पुष्टि समिति** 1. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय —अध्यक्ष 2. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय —सदस्य 3. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय —सदस्य	सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति द्वारा पद भरे जाने के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा शाखा)	07* (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. धन ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा

		(6)
		चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (क)(i) केन्द्रीय अधिनियम; प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के समतुल्य समझा जाए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्थान या विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर (एलएल.एम.) की उपाधि; या (ii) राज्य न्यायिक सेवा का पांच वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो; या किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में पांच वर्ष तक कोई पद धारण कर चुका हो; या केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जिसे विधि कार्यों का पांच वर्ष का अनुभव हो; या ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो पांच वर्ष तक उस रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो; या किसी मान्यताप्राप्त संस्था में पांच वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से भिन्न किसी एक भाषा) में अनुवाद करने का पांच वर्ष का अनुभव हो। या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों के प्रारुपण का पांच वर्ष का अनुभव । या	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(7)

(ख)(i) केन्द्रीय अधिनियम; प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के समतुल्य समझा जाए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्थान या विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक (एलएल.बी.) की उपाधि; या

(ii) राज्य न्यायिक सेवा का सात वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो;

या

किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में सात वर्ष तक कोई पद धारण किया हो;

या

केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जिसे विधि कार्यों का सात वर्ष का अनुभव हो;

या

ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो सात वर्ष तक उस रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त संस्था में सात वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो;

या

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से भिन्न किसी एक भाषा) में अनुवाद करने का सात वर्ष का अनुभव हो।

या

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों के प्रारुपण का सात वर्ष का अनुभव ।

(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या कोई संस्थान या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा अथवा कोई उच्चतर परीक्षा में संबद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) अथवा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या समतुल्य या किसी उच्चतर परीक्षा में संबंद्ध भाषा एक विषय रहा हो ।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

(7)	
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । **वांछनीय** 1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में संबंद्ध भाषा (संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) में विधायी प्ररुपण का पांच वर्ष का अनुभव । 2. केन्द्रीय अधिनियम; प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के समतुल्य समझा गया है या कोई अन्य संस्थान या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से किसी संबद्ध भाषा में (संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हिंदी से भिन्न कोई एक भाषा) विषय के साथ या स्नातक स्तर पर किसी विषय के रूप में या माध्यम के साथ स्नातक की उपाधि । **टिप्पण :–** संबद्ध भाषा की सही अपेक्षा भर्ती के समय उपदर्शित होगी ।	

(10)	(11)
100% सीधी भर्ती द्वारा द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा ।	**प्रतिनियुक्ति या आमेलन :** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो :– (क)(i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. धन ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा कर चुका हो; या (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. धन ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा कर चुका हो; और (iv) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. धन ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा कर चुका हो; और

	(11)
	(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, (आइएसटीसी) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आइ एस टी सी है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख सें जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)		(13)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति		प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।
1. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय	—अध्यक्ष	
2. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय	—सदस्य	
3. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय	—सदस्य	

[सं. ए-12018/02/2010-प्रशा.1(एलडी)]

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 151 तारीख 28 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि. सं. 255 तारीख 21 अप्रैल, 2005 और सा.का.नि. सं. 48 तारीख 27 जनवरी, 2010 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 11th November, 2013

G.S.R. 261. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President

hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing, (Group 'A' posts Regional Languages) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay scale.—**The number of posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc. —**The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** —No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Deputy Legislative Counsel (Regional Languages)	2* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -3, Rs. 15600—39100 + Grade Pay of Rs. 7600	Selection	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Center Government. **Note:-**The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State,

		(6)
		Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Master's Degree in Law (LLM) from a University established or incorporated by or under a Central Act; a Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government; and (ii) Should have been a member of State Judicial Service for a period of eight years; or Should have been held a post in the Legal Department of a State Government for eight years; or Should have been a Central Government servant who has had experience in Legal Affairs for eight years; or Should have been a qualified legal practitioner who has practised as such for eight years; or Should have been a teacher of Law for eight years in a recognised institution; or Should have eight years' experience of translation into the concerned language (one of the languages, other than Hindi, mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) of statutes, statutory rules and orders in Central Government or State Government; or Should have eight years' experience of drafting of statutes in the Central Government or State Government; or B.(i) Bachelor's Degree in Law (LLB) from a University established or incorporated by or under a Central Act; a Provincial Act or a State Act or any	No	One year for direct recruits

(7)

institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government; and

(ii) Should have been member of State Judicial Service for a period of ten years;

or

Should have been held a post in the Legal Department of a State Government for ten years;

or

Should have been a Central Government servant who has had experience in Legal Affairs for ten years;

or

Should have been a qualified legal practitioner who has practised as such for ten years;

or

Should have been a teacher of Law for ten years in a recognised institution;

or

Should have ten years' experience of translation into the concerned language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) of statutes, statutory rules and orders in Central Government or State Government;

or

Should have ten years' experience of drafting of statutes in the Central or State Government;

(iii) Passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or Institution through medium of language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) concerned or had offered the language concerned as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or any institution or foreign university approved by the Central Government.

Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any

(7)	
stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable:** 1. Five years' experience of legislative drafting in the concerned language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) in Central Government or State Government. 2. Bachelor's degree from a University established or incorporated by or under a Central Act; a Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government with the concerned language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) as a subject or medium at degree level. **Note.—**The exact requirement of the concerned language shall be indicated at the time of recruitment.	

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.	**Promotion:** Assistant Legislative Counsel (Regional Languages Branch) in the Pay Band-3 of Rs.15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 in the Official Languages Wing, Legislative Department with five years' regular service in the grade. **Note (1): —**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note (2):—**For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006, i.e. the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission's recommendations has been extended, shall be deemed to be the

(11)
service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories:— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the Parent Cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-3 of Rs.15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 or equivalent in the Parent Cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column 7: **Note (1) :** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.) **Note (2).—**For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006, i.e. the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the said Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement of the grade prior to 01-01-2006 without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member 3. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and filling the post by deputation.

(12)

4. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member.

Group 'A' Departmental Confirmation Committee :

1. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Chairman
2. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member
3. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Legislative Counsel (Regional Languages)	07* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -3, Rs.15600—39100+ Grade Pay of Rs. 6600	No applicable	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Centerl Government). **Note:-**The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)

(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Master's Degree in Law (LLM) from a University established or incorporated by or under a Central Act; a Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government; and (ii) Should have been a member of State Judicial Service for a period of five years. or Should have held a post in the Legal Department of a State Government for five years; or	Not applicable	One year for direct recruits

	(7)
	Should have been a Central Government servant who has had experience in Legal Affairs for five years; or Should have been a qualified legal practitioner who has practised as such for five years; or Should have been a teacher of Law for five years in a recognised institution; or Should have five years' experience of translation into the concerned language (one of the languages, other than Hindi, mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) of statutes, statutory rules and orders in the Central Government or State Government; or Should have five years' experience of drafting of statutes in the Central Government or State Government; or B. (i) Bachelor's Degree in Law (LLB) from a University established or incorporated by or under a Central Act; a Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government; and (ii) Should have been a member of State Judicial Service for a period of seven years; or Should have held a post in the Legal Department of a State Government for seven years; or Should have been a Central Government servant who has had experience in Legal Affairs for seven years; or Should have been a qualified legal practitioner who has practised as such for seven years; or Should have been a teacher of Law for seven years in a recognised institution; or Should have seven years' experience of translation into the concerned language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule

(7)

to the Constitution) of statutes, statutory rules and orders in the Central Government or the State Government;

or

Should have seven years' experience of drafting of statutes in the Central Government or the State Government;

(iii) Passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or Institution through medium of concerned language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) or had offered the concerned language as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or any institution or foreign University approved by the Central Government.

Note 1— Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable:

1. Five years' experience of legislative drafting in the language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) concerned in Central or State Government.

2. Bachelor's degree from a University established or incorporated by or under a Central Act; a Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government with the language (one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution) concerned as a subject or medium at degree level.

Note—The exact requirement of the concerned language shall be indicated at the time of recruitment.

(10)	(11)
100% by direct recruitment failing which by deputation/absorption.	**Deputation/absorption :** Officers under the Central or State Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the Parent Cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band of Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.5400 or equivalent in the Parent Cadre or Department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band of Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4800 or equivalent in the Parent Cadre or Department; or (iv) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band of Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4600 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column 7. (Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.) **Note:—** For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006, i.e. the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement of the grade prior to 01-01-2006 without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Confirmation Committee 1. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Chairman 2. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member 3. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasin.

[No. A-12018/02/2010-Admn. 1(LD)]

B. M. SHARMA, Dy. Secy.

Note:—The principal rules were published vide G.S.R. 151 dated the 28th March, 2003 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide G.S.R. number 255(E) dated the 21st April, 2005 and GSR number 48(E) dated 27th January, 2010.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2013

सा.का.नि. 262.-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह ''क'' और समूह ''ख'' पद) भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिसे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में समूह ''क'' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड (समूह ''क'' पद हिन्दी शाखा) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा)	02* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400—67000 रु. + ग्रेड वेतन 10000	चयन	50 वर्ष से अनधिक केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख

		(6)
		होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : क. (i) किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्था जिसे केन्द्रीय सरकारी द्वारा किसी विश्वविद्यालय के रूप में समझा जाए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्थान या विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर (एल.एल.एम.)की उपाधि; या (ii) राज्य न्यायिक सेवा का तेरह वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो ; या किसी राज्य सरकार के विधिक विभाग में तेरह वर्ष तक पद धारण कर चुका हो ; या केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी रहा हो जो विधि का कार्यों का तेरह वर्ष का अनुभव रखता हो ; या ऐसी अर्हित विधि व्यवसायी रहा हो जो तेरह वर्ष तक उस रूप में व्यवसाय कर चुका हो ; या किसी मान्यताप्राप्त संस्था मे तेरह वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिंदी में अनुवाद करने का तेरह वर्ष का अनुभव होना चाहिए ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों के प्रारूपण का तेरह	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(7)

वर्ष का अनुभव होना चाहिए;

ख. (i) किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीयं अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्था जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के रूप में समझा जाए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्थान या विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक (एलएल.बी.)की उपाधि ; या

(ii) राज्य न्यायिक सेवा का पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो; या

किसी राज्य सरकार के विधिक विभाग में पंद्रह वर्ष तक कोई पद धारण कर चुका हो ; या

केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जो विधि कार्यों का पंद्रह वर्ष का अनुभव रखता हो ; या

ऐसा अर्हित विधि व्सवसायी जो पंद्रह वर्ष तक उस रूप में व्यवसाय कर चुका हो ; या

किसी मान्यताप्राप्त संस्था में पंद्रह वर्ष तक विधि अध्यापक रहा हो; या

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार मे कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिंदी में अनुवाद करने का पंद्रह वर्ष का अनुभव होना चाहिए ;

या

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों के प्रारुपण का पंद्रह वर्ष का अनुभव रखता हो ;

(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा कोई उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो अथवा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या किसी उच्चतर परीक्षा में हिंदी एक विषय के रूप में रहा हो ।

टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।

टिप्पण 2- अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

वांछनीय

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में हिंदी में विधायी प्रारुपण का पांच वर्ष का अनुभव

2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय या माध्यम रहा हो ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ; और 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. ग्रेड वेतन 8700 रु. में राजभाषा खंड, विधायी विभाग का ऐसा अपर विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण** (1): जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । **टिप्पण** (2): प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु.+ ग्रेड वेतन 8900 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो ; और (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु +. ग्रेड वेतन 8700 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो ; और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों । **टिप्पण** (1) : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से

	(11)
	अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) **टिप्पण** (2): प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्रीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय -सदस्य 3. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य 4. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति :** 1. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य 3. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य	सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति द्वारा पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. अपर विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा)	02* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400—67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700	चयन	50 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।

		(6)
		टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अथ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : क. (i) किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्था जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के रूप में समझा जाए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्थान या विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर (एलएल.एम.)की उपाधि; या (ii) राज्य न्यायिक सेवा का दस वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो ; या किसी राज्य सरकार के विधिक विभाग में दस वर्ष तक पद धारण कर चुका हो ; या केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी रहा हो जो विधि कार्य का दस वर्ष का अनुभव रखता हो ; या ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी रहा हो जो दस वर्ष तक उस रूप में व्यवसाय कर चुका हो ; या किसी मान्यताप्राप्त संस्था मे दस वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारी में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिंदी में अनुवाद करने का दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए ; या	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(7)

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों के प्रारूपण का दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए ;

या

ख. (i) किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्था जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के रूप में समझा जाए या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्थान या विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक (एलएल.बी.)की उपाधि ;

या

(ii) राज्य न्यायिक सेवा का बारह वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो;

या

किसी राज्य सरकार के विधिक विभाग में बारह वर्ष तक कोई पद धारण कर चुका हो;

या

केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जो विधि कार्यों का बारह वर्ष का अनुभव रखता हो;

या

ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो बारह वर्ष तक उस रूप में व्यवसाय कर चुका हो ;

या

किसी मान्यताप्राप्त संस्था में बारह वर्ष तक विधि अध्यापक रहा हो ;

या

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों के हिंदी में अनुवाद का बारह वर्ष का अनुभव होना चाहिए ;

या

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनी के प्रारूपण का बारह वर्ष का अनुभव रखता हो ;

(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्था से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा कोई उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो अथवा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या किसी उच्चतर परीक्षा में हिन्दी एक विषय के रूप में रहा हो ।

टिप्पण 1–अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।

(7)	
टिप्पण 2–अनुभव संबधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । **वांछनीय :** (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में हिंदी में विधायी प्रारूपण का पांच वर्ष का अनुभव (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय या माध्यम रहा हो ।	

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड–3, 15600–39100 रु.+ग्रेड वेतन 7600 रु. में राजभाषा खंड, विधायी विभाग का ऐसा उप विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो । जिसके न हो सकने पर ऐसा उप विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा) जिसने उप विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा) और वेतन बैंड–3, 15600–39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. में राजभाषा खंड, विधायी विभाग का सहायक विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा) की श्रेणियों में दस वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा जिसमें कम से कम दो वर्ष उप विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा) की श्रेणी में की हो । **टिप्पण** (1): जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । **टिप्पण** (2): प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण

(11)

प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो:-

(क)(i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. धन ग्रेड वेतन 7600 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा कर चुका हो ; और

(ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हों ।

टिप्पण (1) : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर -बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख का 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

टिप्पण (2) : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके)लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय -सदस्य 3. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य 4. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति :-** 1. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य 3. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य	सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति द्वारा पद भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा)	04* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. धन ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	50 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर राज्य केलद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)
(7)			(8)		(9)

आवश्यक : क. (i) केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के समतुल्य समझा गया है या कोई अन्य संस्थान या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर (एलएल.एम.) की उपाधि ; या (ii) राज्य न्यायिक सेवा का आठ वर्ष की अवधि के लिए सदस्य हो ; या किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में आठ वर्ष तक कोई पद धारण कर चुका हो ; या केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जिसे विधि कार्यों का आठ वर्ष का अनुभव हो ; या ऐसी अर्हित विधि व्यवसायी जो आठ वर्ष तक उस रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो ; या किसी मान्यताप्राप्त संस्था में आठ वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिंदी में अनुवाद करने का आठ वर्ष का अनुभव ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों में कानूनों के प्रारूपण का आठ वर्ष का अनुभव ; या ख. (i)केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के समतुल्य समझा गया है या कोई अन्य संस्थान या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक (एलएल.बी.) की उपाधि ; या (ii) राज्य न्यायिक सेवा का दस वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो; या किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में का दस वर्ष तक कोई पद धारण किया हो;	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(7)
या केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जिसे विधि कार्य का दस वर्ष का अनुभव हो; या ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो दस वर्ष तक उस रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो; या किसी मान्यताप्राप्त संस्था में दस वर्ष तक विधि अध्यापक रहा हो ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिंदी में अनुवाद करने का दस वर्ष का अनुभव हो ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों के प्रारुपण का दस वर्ष का अनुभव हो ; (iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या समतुल्य अथवा कोई उच्चतर परीक्षा में हिंदी माध्यम अथवा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या समतुल्य से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या समतुल्य या किसी उच्चतर परीक्षा में हिंदी एक विषय रहा हो । **टिप्पण 1**–अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2**–अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं)संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । **वांछनीय :** 1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में हिंदी में विधायी प्रारूपण का पांच वर्ष का अनुभव । 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय या माध्यम रहा हो ।

(10)	(11)
50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु.+धन ग्रेड वेतन 6600 रु. में राजभाषा खंड, विधायी विभाग का ऐसा सहायक विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा) जो उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ।

(10)	(11)
	टिप्पण (1): जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । **टिप्पण** (2): प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्रीक्षित वेतनमानों को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो:- (क) (i)) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. धन ग्रेड वेतन 6600 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा कर चुका हो ; और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हों । **टिप्पण** (1): पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) **टिप्पण** (2): प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित

	(11)
	वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय -सदस्य 3. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य 4. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति :** 1. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य 3. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य	सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति द्वारा पद भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक विधायी परामर्शी (हिंदी शाखा)	05* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. धन ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	40 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान

		(6)
		और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : क. (i) केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के समतुल्य समझा गया है या कोई अन्य संस्थान या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर (एलएल.एम.) की उपाधि ; या (ii) राज्य न्यायिक सेवा का पांच वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो ; या किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में पांच वर्ष तक कोई पद धारण कर चुका हो ; या केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जिसे विधि कार्यों का पांच वर्ष का अनुभव हो ; या ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो पांच वर्ष तक उस रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो ; या किसी मान्यताप्राप्त संस्था में पांच वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिंदी में अनुवाद करने का पांच वर्ष का अनुभव हो ; या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों में कानूनों के प्रारुपण का पांच वर्ष का अनुभव ; या ख. (i)केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के समतुल्य समझा गया है या कोई अन्य संस्थान या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक (एलएल.बी.) की उपाधि ;	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : स्तंभ 11 में यथा उपदर्शित सीमा तक	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और अधीक्षण (तकनीकी) की श्रेणी से प्रोन्नत किए गए अधिकारियों के लिए एक वर्ष

(7)

या

(ii) राज्य न्यायिक सेवा का सात वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो ;

या

किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में सात वर्ष तक कोई पद धारण कर चुका हो ;

या

केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जिसे विधि कार्यों का सात वर्ष का अनुभव हो ;

या

ऐसी अर्हित विधि व्यवसायी जो सात वर्ष तक उस रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो ;

या

किसी मान्यताप्राप्त संस्था में सात वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ;

या

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिंदी में अनुवाद करने का सात वर्ष का अनुभव हो ;

या

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों के प्रारुपण का सात वर्ष का अनुभव हो;

(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या समतुल्य अथवा किसी उच्चतर परीक्षा में अथवा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय या समतुल्य से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या समतुल्य या किसी उच्चतर परीक्षा में हिंदी माध्यम या एक विषय रहा हो ।

टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

वांछनीय :

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में हिंदी में विधायी प्रारूपण का पांच वर्ष का अनुभव ।

2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय या माध्यम रहा हो ।

(10)	(11)
40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. धन ग्रेड वेतन 5400 रु. में राजभाषा खंड, विधायी विभाग का ऐसा अधीक्षक (अनुवाद) (हिंदी शाखा) जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. धन ग्रेड वेतन 5400 रु. में राजभाषा खंड विधायी विभाग का ऐसा अधीक्षक (तकनीकी) (हिंदी शाखा) जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की हो । जो केन्द्रीय अधिनियम; प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्था जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के रूप में समझा गया है या कोई अन्य संस्थान या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक (एलएल.बी.) की उपाधि रखता हो । **टिप्पण** (1): प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधी श्रेणी या पद में विहित अर्हक सेवा के अधिकारी द्वारा पूरा करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी । **टिप्पण** (2): जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । **टिप्पण** (3):-प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का विस्तार किया गया है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय -सदस्य 3. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य 4. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य	समूह ''ख'' से समूह ''क'' पदों पर प्रोन्नति के लिए और सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

(12)

समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति :-

1. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - अध्यक्ष
2. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य
3. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. अधीक्षक (अनुवाद) (हिंदी शाखा)	05* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. धन ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन	35 वर्ष से अनधिक केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अथ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : क. (i) केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय के समतुल्य समझा गया है या कोई अन्य संस्थान या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक (एलएल.बी.) की उपाधि ; या (ii) राज्य न्यायिक सेवा का चार वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो ; या	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष ।

(7)

किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में चार वर्ष तक कोई पद धारण किया हो ;

या

केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जिसे विधि कार्यों का चार वर्ष का अनुभव हो ;

या

ऐसा अर्हित विधि व्यवसायी जो चार वर्ष तक उस रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो ;

या

किसी मान्यताप्राप्त संस्था में चार वर्ष तक विधि का अध्यापक रहा हो ;

या

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार में कानूनों, कानूनी नियमों और आदेशों का हिंदी में अनुवाद करने का चार वर्ष का अनुभव हो ;

या

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कानूनों के प्रारुपण का चार वर्ष का अनुभव हो,

(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या समतुल्य अथवा या किसी उच्चतर परीक्षा में अथवा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या समतुल्य से माध्यमिक परीक्षा या समतुल्य या किसी उच्चतर परीक्षा में हिंदी माध्यम या एक विषय रहा हो ।

टिप्पण 1–अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।

टिप्पण 2 –अनुभव संबधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

वांछनीय :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में परिनियमों, कानूनी नियमों और आदेशों के हिंदी में अनुवाद का तीन वर्ष का अनुभव ।

(10)	(11)
40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 40 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. धन ग्रेड वेतन 4600 रु. में राजभाषा खंड, विधायी विभाग का ऐसा राजभाषा खंड विधायी विभाग का ऐसा ज्येष्ठ अनुवादक (हिंदी शाखा) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण** (1): जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । **टिप्पण** (2): प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्रीक्षित वेतनमानों को साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो:- (क) (i)) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. धन ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो ; और (iii) जिन्होंन मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. धन ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो ; और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हों । **टिप्पण** (1): पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य

(11)	
	काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) **टिप्पण** (2): प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्रीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय -सदस्य 3. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य 4. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति :-** 1. सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अपर सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य 3. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

[सं. ए-12018/02/2010-प्रशा.1(एलडी)]

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. सं. 151, तारीख 28 मार्च, 2003 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. सं. 255(अ) तारीख 21 अप्रैल, 2005 और सा.का.नि. सं. 48(अ) तारीख 27 जनवरी, 2010 द्वारा किए गए थे ।

New Delhi, 11th November, 2013

G.S.R. 262.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Lanuages Wing (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing, (Group 'A' posts Hindi Branch) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay scale.—**The number of posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc. —**The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Joint Secretary and Legislative Counsel (Hindi Branch)	02* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -4, Rs. 37400—67000 + Grade Pay of Rs. 10000	Selection	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:-**The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for

		(6)
		those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : A(i) Master's Degree in Law (LLM) from a University established or incorporated by or under a Central Act; Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government; (ii) Should have been a member of State Judicial Service for a period of thirteen years; Or Should have been held a post in the legal department of a State Government for thirteen years; Or Should have been a Central Government servant who has had experience in legal affairs for thirteen years;. Or Should have been a qualified legal practitioner who has practiced as such for thirteen years; Or Should have been a teacher of law for thirteen years in a recognised institution; Or Should have thirteen year' experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in Central Government or State Government; Or Should have thirteen years' experience of drafting of statutes in the Central/State Government;	No	One year for direct recruits

(7)

Or

B.(i) Bachelor's Degree in Law (LLB) from a University established or incorporated by or under a Central Act; a Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government; or

(ii) Should have been a member of State Judicial Service for a period of fifteen years;

Or

Should have been held a post in the legal department of a State Government for fifteen years;

Or

Should have been a Central Government servant who has had experience in legal affairs for fifteen years;

Or

Should have been a qualified legal practitioner who has practiced as such for fifteen years;

Or

Should have been a teacher of law for fifteen years in a recognised institution;

Or

Should have fifteen years' experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in Central Government or State Government;

Or

Should have fifteen years' experience of drafting of statutes in the Central Government or State Government; and

(iii) passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or institution through Hindi medium or had offered Hindi as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised board/university or any institution or foreign university approved by the Central Government.

Note 1—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any

(7)	
stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable:** 1. Five years' experience of legislative drafting in Hindi in Central Government or State Government. 2. Bachelor's degree from a recognised university with Hindi as a subject or medium at degree level.	

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
50% by Promotion, failing which by deputation; and 50% by deputation failing which by direct recruitment	**Promotion** : Additional Legislative Counsel (Hindi Branch) in the Official Languages Wing, Legislative Department in the Pay Band-4 of Rs. 37400-67000 puls Grade Pay of Rs. 8700 with three year's regular service in the grade. **Note (1) :—**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note (2):—**For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006, i.e. the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission's recommendations has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. **Deputation:** Officers under the Central Government or State Government – (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the Parent Cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the PB-4 Rs.37400-67000 plus Grade Pay of Rs.8900 or equivalent in the Parent Cadre or Department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the PB-4 of Rs.37400-67000 plus Grade Pay of Rs.8700/- or equivalent in the Parent Cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. **Note (1)—**The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(11)
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.) **Note.(2)—**For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006, i.e. the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement of the grade prior to 01-01-2006 without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member 3. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member 4. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee** 1. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Chairman 2. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member 3. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and filling the post by deputation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.Additional Legislative Counsel (Hindi Branch)	02* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -4, Rs.37400—67000+ Grade Pay of Rs. 8700	Selection	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

		(6)
		Note:-The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential : A(i) Master's Degree in Law (LLM) from a University established or incorporated by or under a Central Act; Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government; (ii) Should have been a member of State Judicial Service for a period of ten years; Or Should have held a post in the legal department of a State Government for ten years; Or Should have been a Central Government servant who has had experience in legal affairs for ten years; Or Should have been a qualified legal practitioner who has practiced as such for ten years; Or Should have been a teacher of law for ten years in a recognised institution; Or Should have ten years' experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in Central Government or State Government; Or Should have ten years' experience of drafting of statutes in the Central Government or State Government;	No	One year for direct recruits

(7)

Or

B. (i) Bachelor's Degree in Law (LLB) from a University established or incorporated by or under a Central Act; a Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government;

(ii) Should have been a member of State Judicial Service for a period of twelve years;

Or

Should have held a post in the legal department of a State Government for twelve years;

Or

Should have been a Central Government servant who has had experience in legal affairs for twelve years;

Or

Should have been a qualified legal practitioner who has practiced as such for twelve years;

Or

Should have been a teacher of law for twelve years in a recognised institution;

Or

Should have twelve years' experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in Central Government or State Government;

Or

Should have twelve years' experience of drafting of statutes in the Central Government or State Government;

(iii) passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or institution through Hindi medium or had offered Hindi as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognized board or university or any institution or foreign university approved by the Central Government.

Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2. —The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any

(7)	
stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable:** (1) Five years' experience of legislative drafting in Hindi in Central Government or State Government. (2) Bachelor's degree from a recognised university with Hindi as a subject or medium at degree level.	

(10)	(11)
By Promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment .	**Promotion:** : Deputy Legislative Counsel (Hindi Branch) in the Official Languages Wing, Legislative Department in the Pay Band-3 of Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 7600 with five year's regular service in the grade failing which Deputy Legislative Counsel (Hindi Branch) with ten years' combined regular service in the grades of Deputy Legislative Counsel (Hindi Branch) and Assistant Legislative Counsel (Hindi Branch) in the Official Languages Wing, Legislative Department in the Pay Band-3 of Rs.15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 with at least two years' regular service in the grade of Deputy Legislative Counsel (Hindi Branch). **Note (1): —**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note (2):—**For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006, i.e. the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission's recommendations has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. **Deputation:** Officers under the Central or State Government – (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the Parent Cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the PB 3 Rs.15600—39100 plus Grade Pay of Rs.7600 or equivalent in the Parent Cadre or Department; and

(11)	
	(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7: **Note (1) :—**The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.) **Note (2) :—**For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006, i.e. the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with common grade pay or pay scale, where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement of the grade prior to 01-01-2006 without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member 3. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member 4. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member **Group 'A' Departmental Confirmation Committee :** 1. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Chairman 2. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member 3. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and filling the post by deputation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Deputy Legislative Counsel (Hindi Branch)	04* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs.15600—39100 + Grade Pay of Rs. 7600	Selection	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Center Government). **Note:-**The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential : A(i) Master's Degree in Law (LLM) from a University established or incorporated by or under a Central Act; Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government; (ii) Should have been a member of State Judicial Service for a period of eight years; Or Should have held a post in the legal department of a State Government for eight years; Or Should have been a Central Government servant who has had experience in legal affairs for eight years; Or Should have been a qualified legal practitioner who has practiced as such for eight years; Or Should have been a teacher of law for eight years in a recognised institution; Or	No	One year for direct recruits

(7)

Should have eight years' experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in Central Government or State Government;

Or

Should have eight years' experience of drafting of statutes in the Central Government or State Government,

Or

B.(i) Bachelor's Degree in Law (LLB) from a University established or incorporated by or under a Central Act; a Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government;

(ii) Should have been a member of State Judicial Service for a period of ten years;

Or

Should have held a post in the legal department of a State Government for ten years;

Or

Should have been a Central Government servant who has had experience in legal affairs for ten years;

Or

Should have been a qualified legal practitioner who has practiced as such for ten years;

Or

Should have been a teacher of law for ten years in a recognised institution;

Or

Should have ten years' experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in Central Government or State Government.

Or

Should have ten years' experience of drafting of statutes in the Central Government or State Government;

(iii) passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or institution through Hindi medium or had offered Hindi as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised board/university or any institution or foreign university approved by the Central Government.

Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons

(7)	
to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.—**The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable:** 1. Five years' experience of legislative drafting in Hindi in Central Government or State Government. 2. Bachelor's degree from a recognised university with Hindi as a subject or medium at degree level.	

(10)	(11)
50% by promotion, failing which by deputation. 50% by direct recruitment.	**Promotion:** : Assistant Legislative Counsel (Hindi Branch) in the Official Labguages Wing, Legislative Department in the Pay Band-3 of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 6600 with five year's regular service in the grade. **Note (1): —**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note (2):—**For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006, i.e. the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission's recommendations has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. **Deputation:** Officers under the Central Government or State Government – (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the Parent Cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the PB-3, Rs.15600-39100 plus Grade Pay of Rs.6600 or equivalent in the Parent Cadre or Department; and

(11)	
	(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. **Note (1):—**The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.) **Note (2) :—**For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006, (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with common grade pay or pay scale, where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement of the grade prior to 01-01-2006 without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee: 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member 3. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member 4. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee :** 1. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Chairman 2. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member 3. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and filling up the post by deputation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Legislative Counsel (Hindi Branch)	05* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs.15600—39100+ Grade Pay of Rs. 6600	Selection	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:-**The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential : A(i) Master's Degree in Law (LLM) from a University established or incorporated by or under Central Act; Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government; (ii) Should have been a member of State Judicial Service for a period of five years; Or Should have held a post in the Legal Department of a State Government for five years; Or Should have been a Central Government servant who has had experience in legal affairs for five years; Or Should have been a qualified legal practitioner who has practised as such for five years; Or Should have been a teacher of law for five years in a recognised institution; Or	Age No Educational Qualifications : To the extent as indicated in column (11)	One year for direct recruits and officers promoted from the grade of Superintendent (Technical)

(7)	
Should have five years' experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in the Central Government or State Government; Or Should have five years' experience of drafting of statutes in the Central Government and State Government; Or B. (i) Bachelor's Degree in Law (LLB) from a University established or incorporated by or under a Central Act; a Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government; (ii) should have been a member of State Judicial Service for a period of seven years; Or Should have held a post in the legal department of a State Government for seven years; Or Should have been a Central Government servant who has had experience in legal affairs for seven years. Or Should have been a qualified legal practitioner who has practiced as such for seven years; Or Should have been a teacher of law for seven years in a recognised institution; Or Should have seven years' experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in the Central Government or State Government; Or Should have seven years' experience of drafting of statutes in the Central Government or State Government; (iii) passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognised Board or University or institution through Hindi medium or had offered Hindi as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognized Board or university or any institution or foreign university approved by the Central Government. **Note 1.—**Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	

(7)	
Note 2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable:** 1. Five years' experience of legislative drafting in Hindi in Central Government or State Government. 2. Bachelor's degree from a recognized university with Hindi as a subject or medium at degree level.	

(10)	(11)
40% by Promotion, 60% by direct recruitment	**Promotion:** Superintendent (Translation) (Hindi Branch) in the Official Languages Wing, Legislative Department in the Pay Band-3 of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 with five years' of regular service in the grade and Superintendent (Technical) (Hindi Branch) in the Official Languages Wing, Legislative Department in the Pay Band-2 of Rs. 9300 – 34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 with seven years' regular service in the grade; Possessing a degree in Law (LLB) from a University established or incorporated by or under a Central Act; a Provincial Act or a State Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government. **Note (1):—**The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the Officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. **Note (2):—**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note (3):—**For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006, i.e. the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission's recommendations has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member 3. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member 4. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member **Group 'A' Departmental Confirmation Committee** 1. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Chairman 2. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member 3. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for promotion from Group 'B' to Group 'A' posts and for filling up the posts by direct recruitment.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Superintendent Translation (Hindi Branch)	05* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15600—39100 + Grade Pay of Rs. 5400	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Center Government). **Note:-**The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential : A (i) Bachelor's Degree in Law (LLB) from a recognized University established or incorporated by or under a Central Act; Provincial Act or a State	No	One year for direct recruits and promotees.

(7)

Act or any institution for higher education deemed to be a University by the Central Government or any other institution or foreign University approved by the Central Government;

(ii) Should have been a member of State Judicial Service for a period of four years;

Or

Should have been a post in the Legal Department of a State Government for four years;

Or

Should have been a Central Government servant who has had experience in Legal Affairs for four years;

Or

Should have been a qualified legal practitioner who has practiced as such for four years;

Or

Should have been a teacher of Law for four years in a recognised institution;

Or

Should have four years' experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in Central Government or State Government;

Or

Should have four years' experience of drafting of statues in the Central Government or State Government;

(iii) Passed Secondary School Examination or any higher examination from a recognized Board or University or Institution through Hindi medium or had offered Hindi as a subject in Secondary School Examination or any higher examination from a recognised board or University or any Institution or foreign University approved by the Central Government.

Note 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(7)	
Desirable: 1. Three years' experience of translation into Hindi of statutes, statutory rules and orders in Central Government or State Government.	

(10)	(11)
40% by Promotion, failing which by deputation failing both by direct recruitment. 40% by direct recruitment failing which by deputation 20% by deputation.	**Promotion:** : Senior Translator (Hindi Branch) of Official Languages Wing, Legislative Department in the Pay Band-2 of Rs. 9300–34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 with three year's regular service in the grade. **Note (1): —**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note (2):—**For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006, i.e. the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission's recommendations has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. **Deputation:** Officers of the Central Government and State Government : (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the Parent Cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB-2 of Rs. 9300—34800 plus Grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the Parent Cadre or Department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB-2 of Rs. 9300—34800 plus Grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the Parent Cadre or Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7. **Note (1):—**The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same

(11)	
	or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.) **Note. (2)—**For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01-01-2006, i.e. the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement of the grade prior to 01-01-2006 without any upgradation.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee Consisting of : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member 3. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member 4. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee Consisting of :** 1. Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Chairman 2. Additional Secretary, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member 3. Joint Secretary and Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law and Justice —Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[No. A-12018/02/2010-Admn. 1(LD)]

B. M. SHARMA, Dy. Secy.

Note :— The principal rules were published *vide* G.S.R. 151 dated the 28th March, 2003 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide G.S.R. number 255(E) dated the 21st April, 2005 and GSR number 48(E) dated 27th January, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.